न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 28/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह गुर्जर एफबीओ मैसर्सः– पीपलकी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (बीएमसी), कोड नं. 331, पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री मानसिंह गुर्जर पुत्र श्री बनेसिंह गुर्जर सचिव एफबीओ मैसर्सः– पीपलकी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (बीएमसी), कोड नं. 331, पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः– 10.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.07.2020 को दोपहर पूर्व 11:00 बजे मैसर्सः– पीपलकी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (बीएमसी), कोड नं. 331 पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर विक्रेता श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह गुर्जर उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त डेयरी फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर एक कोल्ड स्टोर मे करीबन 200 लीटर दूध था जिसे विक्रेता ने मिश्रित दूध एवं सरस डेयरी जयपुर को विक्रय करना बताया में मिलावट का शक होने पर इसमें से 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली स्टील बाल्टी में नापकर दिया। जिसकी कीमत 100 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में डालकर प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फॉर्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं.(विक्रेता) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर बोतलों को

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2416 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहांन को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री हितेश खण्डेलवाल कनिष्ठ सहायक मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.07.2020 को खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.07.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.07.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने की खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./346/एक्ट/2020/417 दिनांक 31.07.2020 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./346/एक्ट/2020/417 दिनांक 31.07.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने की बी. आर. रीडिंग 44.2 पाई गई है जो कि तय मानकों से कही अधिक है। बी. आर. रीडिंग तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नूमना सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र से दुग्ध क्रय किया जाता है और जैसे दुग्ध क्रय किया जाता है वैसे ही विक्रय कर दिया जाता है। हमारे द्वारा दुग्ध में कोई मिलावट नहीं की जाती है। मैं गरीब परिवार से हूं। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा कम से कम जुर्माना करने का निवेदन किया गया।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से दुग्ध क्रय किया जाकर वैसे ही स्थिति में दुग्ध का विक्रय किया जाना जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया गया है। किन्तु परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./346/एक्ट/2020/417 दिनांक 31.07.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह गुर्जर एवं श्री मानसिंह गुर्जर पुत्र श्री बनेसिंह गुर्जर सचिव एफबीओ मैसर्सः– पीपलकी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (बीएमसी), कोड नं. 331, पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा पर 10000 (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 10.02.2021 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/2021/445-448
दिनांकः– 19.02.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह गुर्जर
   एफबीओ मैसर्सः– पीपलकी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (बीएमसी), कोड नं. 331, पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री मानसिंह गुर्जर पुत्र श्री बनेसिंह गुर्जर सचिव
   एफबीओ मैसर्सः– पीपलकी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (बीएमसी), कोड नं. 331, पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official